भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. 2006E(GC)16-4 New Delhi, dated 15 .06.2011

The General Managers
All Indian Railways and
Production Units.

Sub : Extension of currency of temporary gazetted posts – Streamlining of procedure.

Railways were advised vide Board's letter No.2006E(GC)16-4 dated 13.4.2006 (copy enclosed) that consolidated proposals regarding extension of currency of temporary gazetted posts should invariably reach Board's office atleast three months in advance of the date of expiry of the currency of the posts, as per the time schedule mentioned therein, so that these proposals can be examined and sanction communicated well before the expiry of the currency. These instructions were further reiterated under Board's letters of even number dated 15.1.2007 & 5.5.2010.

It has been observed that despite these instructions, consolidated proposals for extension of currency of temporary gazetted posts are generally received very late, well after the expiry of the currency of the posts. Very often, the proposals for extension of currency of these posts are sent piece-meal, which are not examined for want of a consolidated proposal for all temporary gazetted posts.

Similarly, the proposals for extension of currency of workcharged HAG/SAG posts (other than the posts of Constructions Organisation), which are also required to be sent to Board's office three months in advance of the expiry of the currency, are often received very late, and generally without details of funds/D&G provision/ justification.

The obvious implication of such delay in sanctioning the extension of currency of the temporary posts is that the operation of these posts is continued without the sanction of the competent authority, necessitating issue of orders for provisional payment to the incumbents of the posts and defeats the purpose of streamlining the procedure.

Board have taken a very serious view of non compliance of these instructions and desired that all proposals for extension of currency of temporary gazetted posts as well as HAG/SAG workcharged posts (other than Construction Organisation) should invariably be sent well in advance, with complete details and should also be in line with the extant instructions, so that the need for back reference or for sanction of provisional payment to the incumbents is avoided.

....2/

It is, therefore, reiterated that consolidated proposals for extension of currency of all temporary gazetted posts and proposals in regard to workcharged HAG/SAG posts (other than the posts of Construction Organisation) should invariably reach Board's office at least three months in advance of the date of expiry of the currency of the posts. Separate instructions have already been issued for the proposals relating to workcharged posts of Construction Organisation under Board's letter of even number dated 01.06.2011.

V Vaidehi.

(V. Vaidehi)
Director Estt.(Gazetted Cadre)
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2006 ई(जीसी)16-4 नई दिल्ली, दिनांक: 15.06.2011

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां।

विषयः अस्थायी राजपत्रित पदों की अवधि को बढ़ाना - प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना।

बोर्ड के दिनांक 13.04.2006 के पत्र सं. 2006 ई(जीसी)16-4 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा रेलों को सलाह दी गई थी कि अस्थायी राजपत्रित पदों की अवधि उनके लिए उल्लिखित समय-अनुसूची के अनुसार बढ़ाने संबंधी समेकित प्रस्ताव पदों की अवधि समाप्त होने की तारीख के कम से कम तीन महीने पहले बोर्ड कार्यालय निरपवाद रूप से पहुंच जाना चाहिए जिससे कि इन प्रस्तावों की जांच की जा सके और स्वीकृति अवधि के समाप्त होने से पर्याप्त समय पहले संसूचित की जा सके। इन अनुदेशों को बोर्ड के 15.01.2007 एवं 05.05.2010 के समसंख्यक पत्रों के तहत पुनः दोहराया गया था।

यह पाया गया है कि इन अनुदेशों के बावजूद, अस्थायी राजपत्रित पदों की अवधि बढ़ाने के लिए समेकित प्रस्ताव सामान्यतया पदों की अवधि समाप्त होने के बाद काफी विलंब से प्राप्त होती हैं। अक्सर, इन पदों की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्तावों को एक साथ नहीं भेजा जाता है और सभी अस्थायी राजपत्रित पदों के लिए समेकित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण इनकी जांच नहीं की जा सकती है।

इसी प्रकार से कार्य प्रभारित उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पदों (निर्माण संगठन के पदों से इतर) की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव, जिसे भी पद की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले बोर्ड कार्यालय को भेजना अपेक्षित होता है, अक्सर काफी विलंब से प्राप्त होते हैं और इन्हें सामान्यतया बिना निधि/डी एण्ड जी प्रावधान/औचित्य विवरण के भेजा जाता है।

अस्थायी पदों की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति में ऐसे विलंब का स्पष्ट प्रभाव यह होता है कि इन पदों का परिचालन बिना सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के जारी रहता है और पदों के पदधारी के लिए अनंतिम भुगतान के आदेश जारी करने की आवश्यकता पड़ती है और इससे प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है।

बोर्ड ने इन अनुदेशें के अनुपालन न किए जाने को गंभीरता से लिया है और वांछा की है कि अस्थायी राजपत्रित पदों और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के कार्यभारित पदों (निर्माण संगठन से इतर) की अवधि बढ़ाने के सभी प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ निरपवाद रूप से पर्याप्त समय पहले भेजा जाए और यह मौजूदा अनुदेशों के अनुरूप भी होना चाहिए जिससे कि इस संबंध में पुनः पत्र व्यवहार न करना पड़े या पदधारी के लिए अनंतिम भुगतान की स्वीकृति की आवश्यकता न पड़े।

अतः यह दोहराया जाता है कि सभी अस्थायी राजपत्रित पदों की अवधि बढ़ाने के लिए समेकित प्रस्ताव और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पदों (निर्माण संगठन के पदों से इतर) का प्रस्ताव पदों की अवधि समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले बोर्ड कार्यालय को निरपवाद रूप से पहुंच जाना चाहिए। बोर्ड के दिनांक 01.06.2011 के समसंख्यक पत्र के तहत निर्माण संगठन के कार्यभारित पदों से संबंधित प्रस्ताव के लिए पृथक अनुदेश पहले ही जारी किए गए हैं।

वी. वैदेही

(वी. वैदेही)
निदेशक, स्था.(राज. संवर्ग)
रेलवे बोर्ड